न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2023 उनवान सोदान बनाम कमला ::

1. सोदान पुत्र गंगाराम, जाति जाट, उम्र 63 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज। --प्रार्थी

बनाम

1. कमला पुत्री नोरत
2. गोपाल पुत्र श्रीराम
3. जगदीश पुत्र श्रीराम
4. बिरदी देवी पुत्री श्रीराम
5. भूरी पुत्री नोरत
6. रघुनाथ पुत्र नोरत
7. रामकिशन पुत्र पांचू
8. रामदयाल पुत्र श्रीराम
9. रामनारायण पुत्र पांचू
10. रामेश्वरी पुत्री नोरत
11. रिधकरण पुत्र बालू
12. लादू पुत्र रामलाल
13. श्रवणी पुत्री नोरत
14. सुखदेव पुत्र श्रीराम
15. सुवा पत्नी स्व. श्रीराम
16. सम्पत पुत्री नोरत
17. हरकरण पुत्र बालू

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई अजमेर राज.।

18. सुमित्रा पत्नी शिवराज
19. कान्ता पत्नी युवराज
20. करमचन्द पुत्र माधू
21. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दत्तक पुत्र खेमा
22. गणपत पुत्र सोहन
23. ग्यारसी देवी पत्नी स्व. मदन
24. गुलाब पत्नी मूलाराम
25. गोगा पत्नी भागीरथ
26. गोविन्द पुत्र सोहन
27. तेजमल पुत्र मदन
28. दिनदयाल पुत्र सोहन
29. नाथू पुत्र सुगना

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

प्रभुदयाल पुत्र हीरा
.पूसी पुत्र मदन
32.बाबूलाल पुत्र सोहन
33.बिदाम पत्नी तेजमल
34.मोतीराम पुत्र मूलाराम
35.रमेश पुत्र सोहन
36.रामकुमार पुत्र मदन
37.रामदेव पुत्र नाथू
38.लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र
39.सुनिता पुत्री मदन

सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई अजमेर राज.।

40.छीतर पुत्र हरकरण
41.रामेश्वर पुत्र हरकरण
42.सुवा पत्नी हरकरण
43.लादू पुत्र रामलाल
44.अनिता पुत्र रणजीत
45.अमित पुत्र विश्राम
46.अशोक पुत्र विश्राम
47.कुलदीप पुत्र रणजीत
48.घमला देवी पत्नी रणजीत
49.टीना पुत्री रणजीत
50.रेखा पुत्री विश्राम
51.राजेश पुत्र विश्राम
52.शीला पत्नि विश्राम
53.ना.सुनील पुत्र रणजीत संरक्षक जरिये माता घमला देवी
54.सुनिता पुत्री विश्राम
55.सुष्मिता पुत्री रणजीत
56.सीता पुत्री विश्राम

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

57.नन्दू देवी पत्नी उमराव
58.प्रहलाद पुत्र नारायण
59.पांची देवी पत्नी नारायण
60.रूपा देवी पत्नी नारायण
61.रामराज पुत्र नारायण
62.श्रवण पुत्र जगन्नाथ

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम तेजपुरा अरांई जिला अजमेर राज.।

63.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:00l51 IST
Reason: SelfAttested

—अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.04.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 02.08.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 35/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिववक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त, एकल खातेदारी व आधिपत्य की भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1971 रकबा 1.8688 हैक्टैयर है जो कि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहा हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 01 से 17 की भूमि खसरा संख्या 2014 रकबा 0.1618 हैक्टयेर, तथा 2015 रकबा 1.3349 हैक्टैयर है, तथा अप्रार्थी संख्या 18 व 19 की भूमि खसरा संख्या 2019 रकबा 0.6715 हैक्टैयर है, अप्रार्थी संख्या 19 से 39 की भूमि खसरा संख्या 2021 है तथा खसरा संख्या 3642/1971 रकबा 1.8688 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में स्थित है, अप्रार्थी संख्या 43 की भूमि खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर है, अप्रार्थी संख्या 44 लगायत 56 की भूमि खसरा संख्या 2000 रकबा 1.9254 हैक्टेयर है तथा अप्रार्थी संख्या 57 से 62 की भूमि खसरा संख्या 2013 रकबा 1.4319 हैक्टेयर स्थित है, उक्त भूमि पर वर्तमान में सभी अपने अपने हिस्से में काबिज काश्त है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 62 प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहतें है, जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार अरांई के समक्ष पेश किया था जिसपर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा सीमाज्ञान किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थी कृषि कार्य कर रहा है किन्तु सीमाज्ञान होने के बावजूद अप्रार्थी उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।

2. प्रार्थी की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्[illegible] खातेदारी की भूमि अरांई पटवार हल्का अरांई स्थित कृषि भूमि 1971 रकबा 1.8688 हैक्[illegible] की जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

3. दिनांक 25.08.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 16 व 18 से 63 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 17 के फौत होने के कारण वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 17 के वारिसान पूर्व में ही पत्रावली पर है इसीलिये उन्हें प्रतिस्थापित किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। दिनांक 12.04.2024 तक सभी अप्रार्थीगणों को सम्यक तामिल हो चुकी हो चुकी थी, उन्हे विधिवत तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे इसलिये दिनांक 12.04.2024 को सभी अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा दिनांक 12.04.2024 को वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. पर बहस सुनी गई।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी की भूमि अरांई पटवार हल्का अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1971 रकबा 1.8688 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर वादअधीन भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1971 रकबा 1.8688 हैक्टेयर का पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested